न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा
पीठासीन अधिकारी : बालकृष्ण तिवारी, आर.ए.एस.

GCMS id : *2019* / 00163

प्रकरण संख्या : 110 / 19

1. प्रेमशंकर पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति महाजन
2. गणेशलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
2. हेमराज उर्फ महेन्द्र कुमार चित्तोडा पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति महाजन
निवासीगण ग्राम मान्दलिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (वादीगण)

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (प्रतिवादी)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती

दिनांक : 22.02.2021

उपस्थिति : श्री जितेन्द्र चौरसिया, अभिभाषक वादीगण

1- वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती पेश किया गया।

2- वादीगण की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि –

* वादीगण के शामलाती के खाते की कृषि आराजी वाके ग्राम मण्डाना, पटवार हल्का मण्डाना, भू–अभिलेख क्षेत्र मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खाता संख्या नया 365 पुराना 328 के खसरा नम्बर 1094 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 1095 रकबा 2.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 1096 रकबा 1.71 हैक्टर, कुल किता 3 रकबा 4.30 हैक्टर आराजी स्थित है तथा ग्राम मांदलिया, पटवार हल्का मांदलिया, भू–अभिलेख क्षेत्र काल्याखेड़ी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खाता संख्या नया 99 पुराना 78 के खसरा नम्बर 242 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 248 रकबा 0.78 हैक्टर, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 261 रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता 5 रकबा 0.89 हैक्टर आराजी स्थित है, जिसके वादीगण शामलाती रूप से खातेदार काबिज काश्त है।
* वादीगण की बाल्यावस्था में ही उनके पिता लक्ष्मीनारायण का दिनांक 29.08.1975 को देहावसान हो गया था। इस कारण वादीगण का नाम जर्ये विरासत इन्तकाल

दर्ज होने पर वादी क्रम 3 का घर का बोलता नाम हेमराज अंकित हो गया है। उस समय वादी क्रम 3 की आयु करीब 10 वर्ष थी तथा उस समय वादी क्रम 3 को हेमराज एवं महेन्द्र कुमार दोनों नामो से जाना जाता था। किंतु विद्यालय में प्रवेश के समय वादी क्रम 3 का नाम महेन्द्र कुमार चित्तौडा रख दिया गया था। इन्तकाल खोला उसमें वादी क्रम 3 का घर का बोलता नाम हेमराज हल्का पटवारी द्वारा अंकित कर दिया गया। जबकि वास्तव में वादी क्रम-3 का समस्त शैक्षणिक रिकोर्ड एवं अन्य पहचान पत्र आदि में महेन्द्र कुमार ही अंकित है। तथा राजस्व रिकोर्ड मे सहवन से हेमराज नाम अंकित हो गया। हेमराज एवं महेन्द्र कुमार चित्तौडा नाम के दो अलग–अलग व्यक्ति नही है। दोनों ही नाम वादी क्रम 3 के ही है। उक्त नाम बाबत् ग्राम पंचायत मांदलिया पंचायत समिति लाडपुरा जिला कोटा द्वारा एक प्रमाण पत्र भी दिनांक 02.09.2019 को जारी किया गया है। जो इस वाद पत्र के साथ संलग्न है।

* इस कारण वादी के समस्त शैक्षणिक दस्तावेज आधार कार्ड पैन कार्ड पहचान पत्र भामाशाह कार्ड आदि दस्तावेजो में वादी क्रम 3 का नाम महेन्द्र कुमार चित्तौडा ही दर्ज चला आ रहा है परन्तु राजस्व रिकोर्ड में घर का बोलता नाम हेमराज सहवन से अंकित हो गया है जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।
* वर्तमान मे वादी क्रम 3 की आयु 54 वर्ष है तथा वादी क्रम 3 के शामलाती खाते की उक्त आराजी के समबन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का कोई वाद–विवाद उत्पन्न नहीं हो इसलिए वादी क्रम 3 अपना नाम राजस्व रिकोर्ड में दुरूस्त करवाना चाहता है, तथा शैक्षणिक दस्तावेज, (आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र भामाशाह कार्ड) आदि में अंकित नाम को ही राजस्व रिकोर्ड में अंकित करवाकर दुरूस्त करवाना चाहता है, क्योंकि वर्तमान में वादी क्रम 3 को राजस्व रिकोर्ड में एवं समस्त दस्तावेजों में अलग अलग नाम होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण वादी क्रम 3 की उपरोक्त कृषि भूमि–सुधार हेतु बैंक/वित्तीय संस्थाओं से लोन आदि लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तथा इसी प्रकार उक्त आराजी का वसीयतनामा/दानपत्र/विक्रयपत्र/मुख्तारनामा आदि निष्पादित करने में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है।
* वादी क्रम 3 द्वारा प्रतिवादी से कई बार खाते की उक्त आराजी के राजस्व रिकोर्ड में वादी क्रम 3 का नाम दस्तावेजो के अनुसार दुरूस्त करने बाबत् निवेदन करने पर भी प्रतिवादी द्वारा वादी क्रम 3 का नाम दुरूस्त नहीं किया गया। इसी कारण वादीगण द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।
* वादीगण द्वारा अंतिम बार दिनांक 16.09.2019 को शामलाती खाते की उक्त आराजी के राजस्व रिकोर्ड में वादी क्रम 3 का नाम दस्तावेजों के अनुसार दुरूस्त करने बाबत् निवेदन करने तथा प्रतिवादी द्वारा वादी क्रम 3 का नाम दुरूस्त करने से इंकार करने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

* वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। वादग्रस्त आराजी ग्राम मण्डाना एवं मांदलिया तहसील लाड़पुरा जिला कोटा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

* अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वाद पत्र की मद में वर्णित ग्राम मण्डाना पटवार हल्का मण्डाना भू–अभिलेख क्षेत्र मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा कि खाता संख्या नया 365 पुराना 328 एवं ग्राम मांदलिया पटवार हल्का मांदिलया भू–अभिलेख क्षेत्र काल्याखेड़ी तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खाता संख्या नया 99 पुराना 78 कृषि आराजीयात के राजस्व रिकोर्ड में वादी क्रम 3 का नाम हेमराज के स्थान पर महेन्द्र कुमार चित्तौडा वादी क्रम 3 के दस्तावेजो के अनुसार अंकित कर राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जावें। तद्नुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न दस्तावेजात पेश किये गये –

प्रदर्श–1 : ग्राम मान्दलिया के खसरा नम्बर 242, 248, 249, 250, 261 की नकल जमाबन्दी संवत 2070–2073

प्रदर्श–2 : ग्राम मण्डाना के खसरा नम्बर 1094, 1095, 1096 की नकल जमाबन्दी संवत 2073–2076

प्रदर्श–3 : सरपंच तथा ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत मान्दलिया की ओर से जारी प्रमाण पत्र दिनांक 02.09.2019

प्रदर्श–4ए : स्कॉलर रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति।

प्रदर्श–5ए : भामाशाह कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।

प्रदर्श–6ए : निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।

प्रदर्श–7ए : परिवार रासन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।

प्रदर्श–8ए : आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।

3- वादीगण की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने तथा उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तु होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी हेतु नियमानुसार तलवी सम्मन जारी किये गये। प्रकरण में जवाब दावा मय रिपोर्ट भिजवाये जाने हेतु तत्कालीन सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) द्वारा न्यायालय पत्रांक 2653 दिनांक 18.03.2021 से लिखे जाने के बावजूद भी प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा अथवा कोई रिपोर्ट आदि प्राप्त नहीं हुई। फलस्वरूप प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4- प्रकरण पर वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई। वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये राजस्व रिकार्ड में वादी क्रम–3 का नाम हेमराज उर्फ महेन्द्र कुमार चितौडा दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया। वादी अभिभाषक द्वारा वादी क्रम–1 प्रेमशंकर की ओर से 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक शपथ पत्र पेश किया जिसमें भी वाद पत्र के कथनों को स्वीकार किया गया तथा वादी क्रम–3 का नाम संशोधित किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने का उल्लेख किया गया है।

हमने वादी अभिभाषक की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। विवादित आराजीयात वादीगण के संयुक्त खाते की आराजीयात है। इसमें प्रतिवादी क्रम–3 का नाम हेमराज अंकित है। वादीगण की ओर से पेश किये गये दस्तावेज प्रदर्श–3, प्रदर्श–4ए, प्रदर्श–5ए, प्रदर्श–6ए, प्रदर्श–7ए, प्रदर्श–8ए तथा वादी क्रम–1 के शपथ पत्र के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी के किसी हिस्से अथवा रकबे से सम्बन्धित कोई भी विवाद नहीं है। वादी क्रम–3 द्वारा चाहा गया अनुतोष दिये जाने में अन्य सहखातेदार वादीगण को भी कोई आपत्ति नहीं है। नाम में भिन्नता होने के कारण वादीगण का विभिन्न प्रकार के परिलाभ प्राप्त करने में परेशानियों का सामना होना स्वभाविक है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 1094, 1095, 1096 कुल किता 3 रकबा 4.30 हैक्टर तथा ग्राम मांदलिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 242, 248, 249, 250, 261 कुल किता 5 रकबा 0.89 हैक्टर में अंकित हेमराज पुत्र लक्ष्मीनारायण के नाम की इन्द्राज दुरूस्ती करते हुये इसके स्थान पर हेमराज उर्फ महेन्द्र कुमार चितौड़ा दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार पालना कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

8- यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया एवं टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 22.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बालकृष्ण तिवारी) R.A.S.
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा